

न्यायालय- अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, सहारनपुर।

प्रकीर्ण वाद संख्या-1415/26

दिलशाद

बनाम

अमित मित्तल आदि

धारा- 173(4) बी.एन.एस.एस.

थाना-बेहट, सहारनपुर।

01.07.2026

प्रार्थनापत्र पेश हुआ। पुकार कराई गयी। पुकार पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश पत्र के हाशिये पर पृष्ठांकन किया गया कि प्रार्थी उक्त वाद में प्रार्थना पत्र पर बल देना नहीं चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रार्थी द्वारा बल न दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रार्थी द्वारा बल न दिये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम

सहारनपुर।